

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 26.09.2024

थाना पुवायां पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा शातिर चोर को मय अवैध तमंचा व कारतूस के गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर चोरी का माल किया बरामद ।

श्री राजेश एस0, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशनुसार, श्री मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियुक्तों के सत्यापन व अवैध हथियार के दुरुपयोग व बिक्री को रोकने हेतु सघन अभियान के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा शातिर चोर को मय अवैध तमंचा व कारतूस के गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर चोरी का माल किया बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.09.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली के ग्राम बरौना जंगल की ओर से एक व्यक्ति आ रहा है जिसके पास नाजायज तमंचा है अगर जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की बात पर विश्वास कर हम पुलिस वालों ने इस व्यक्ति ग्राम बरौना मोड़ से जंगल की ओर लगभग 100 मीटर की दूरी पर पकड़ लिया। पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी थी तो इस व्यक्ति ने अपना नाम पवन पुत्र द्वारिका निवासी ग्राम गंगसरा थाना पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 28 वर्ष बताया जामा तलाशी से इस व्यक्ति की पहने पैन्ट जीन्स की बायीं फैट से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व पैन्ट जीन्स की अगली बायीं जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व पहने पैन्ट जीन्स की पिछली बायीं जेब से एक 500 रु का नोट बरामद हुए। इस व्यक्ति से बरामद तमंचा कारतूस के बारे में लाईसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा गलती की माफी मागने लगा इस व्यक्ति को उसके जुर्म धारा 3/25 A Act से अवगत कराते हुए बाकायदा समय 22.20 बजे दिनांक 25.09.2024 हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को थाना पुवायाँ पर लाकर ग्राम गंगसरा में हुई चोरी के सम्बन्ध में सख्ती से पूछताछ की गयी तो पहले तो इधर उधर की बातें कर घूमने का प्रयास किया फिर कुछ समय बाद कहा कि मैंने पिछली सर्दियों में करीब 02 महीना पिन्टू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम गंगसरा थाना पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर की मछली पकौड़ी की दुकान पर व उसके साथ पार्टी में भोजन बनाने का कार्य किया था। पिन्टू से मेरी मजदूरी 500 रुपये प्रतिदिन थी। मैंने करीब 20 दिन पिन्टू के साथ कार्य किया था। इस प्रकार पिन्टू पर मेरे 10 हजार रुपये मजदूरी के शेष थे। मांगने पर पिन्टू ने मुझे 2 हजार रुपये दिये और बाकी रूपयों के लिए मुझे टहलाता रहा। पिन्टू द्वारा मेरी मजदूरी के रूपये न देने के कारण मैं पिन्टू से मन ही मन जलता रहा और उसे सबक सिखाने की ठानी और मैं मौके की तलाश में रहने लगा। अब से करीब दो अढ़ाई महीना पहले पिन्टू अपने मकान पर ताला लगा कर मजदूरी करने परिवार सहित दिल्ली चला गया था तो मौका पाकर मैंने अब से करीब डेढ़ महीना पहले रात्रि में तारीख मुझे याद नहीं है मैंने पिन्टू के घर का ताला तोड़कर घर में रखे 05 बड़े छोटे सिलेण्डर, 01 छत का पंखा, ठिलिया के 02 पहिये, 02 बड़े भगोने सिल्वर, 03 छोटे भगोने स्टील, 25 छोटी बडी खाने की प्लेट, 03 लोहे की कढ़ाई चोरी कर ली थी और यह सभी सामान मैंने ग्राम गंगसरा के पीछे सिरियाली फार्म से चलकर सिरियाली जंगल में खड़े एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी झाड़ियों में छिपा रखा है। मैं इस सामान को बेचने की फिराक में था परन्तु बेचने का मौका नहीं मिला। आप अगर मेरे साथ चले तो मैं आपके साथ चलकर वह सामान आपको बरामद करा सकता हूँ तथा बताया कि मैंने दिनांक

28.08.2024 की रात मे ग्राम बेहटा सन्चात में गाँव के बाहर से 02 बण्डल पट्टा जीन का चोरी कर लिया था जो मैने गंगसरा मे एक चलते फिरते कबाडी को 01 हजार रूपये मे बेच दिया था आज पुलिस ने मुझसे जो 500 रूपये बरामद किये है ये वही रूपये है जो मैने कबाडी को पट्टा बेचकर लिए थे। शेष रूपये मुझसे खर्च हो गये। साहब मुझसे गलती हो गयी है माफ कर दो जिसके बाद अभियुक्त को मय पुलिस टीम के लेकर अभियुक्त द्वारा बताये गये स्थान पर ले जाकर मुकदमा उपरोक्त मे चोरी गये माल को बरामद किया तथा अभियुक्त को थाना हाजा पर वापस लाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही के पश्चात मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. पवन पुत्र द्वारिका निवासी ग्राम गंगसरा थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोग: -

1. मु0अ0स0 580/2024 धारा 303(2)/ 317(2) BNS थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 637/2024 धारा 305(a)/331(3)/ 317(2) BNS थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. मु0अ0सं0 641/2024 धारा 3/25 A. ACT थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद कारतूस 315 बोर
2. एक अदद बडा सिलेण्डर कॉमर्शियल इन्डेन, 02 घरेलू सिलेण्डर इन्डेन, 01 घरेलू सिलेण्डर एचपी, 01 घरेलू सिलेण्डर भारत,
3. 01 पंखा छत हैवेल्स, 02 रिम लोहा ठिलिया, 02 भगोना सिल्वर मय ढक्कन बडे, 03 भगोना स्टील मय ढक्कन छोटे,
4. 25 खाने की छोटी बडी प्लेटे स्टील, 03 कढाई लोहा अलग अलग साईज

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1. अपर प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री यतेन्द्रपाल सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री मोहित थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 1747 यतेन्द्र चौहान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 2543 जोनी यादव थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 2774 सन्देश थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 2485 तरुण कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
8. का0 2793 अनिल कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर